

Introduction and Passing of the Appropriation (No. 3) Bill, 2023-2024

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023-2024.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 21।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2023-2024, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?विधेयक को पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 22।

15.43 hrs